संख्या- 43/2023/427/छप्पन-2023-31/2016(Road)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2023

विषय: जनपद गौतमबुद्धनगर में Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway परियोजना में सम्मिलित/अधिनिर्णीत मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 328/ए0एफ0-2023-116/2016 दिनांक 27 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway परियोजना में सम्मिलित/अधिनिर्णीत मार्ग के निर्माण हेतु आगणन लागत रू0 1,22,89,31,862/- (रूपए एक अरब बाइस करोड़ नवासी लाख इकतीस हजार आठ सौ बासठ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बजट में उपलब्ध धनराशि के अनुसार रू0 99,59,58,000/- (रूपए निन्यानवे करोड़ उनसठ लाख अट्ठावन हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 27 मार्च, 2023 के अनुसार नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की कनैक्टिविटी के लिए मार्ग निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संशोधित आगणन का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	उ0प्र0 सरकार का अंश	
			अंश प्रतिशत में	लागत रू0 लाख में
1	Interchange of Yamuna Expressway (Full cloverleaf interchange with Yamuna Expresswy Junction)	1,45,25,49,067/-	50 प्रतिशत	72,62,74,533.50
2	Expressway Connecting Stretch 800 m long (8 lane Highway with both side service road and other structures)	50,26,57,328/-	100 प्रतिशत	50,26,57,328.00
			योग	1,22,89,31,861.50
			अर्थात्	**1,22,89,31,862.00**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में Greenfield connectivity to Jewar International Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway परियोजना में सम्मिलित/ अधिनिर्णीत मार्ग के निर्माण हेतु आगणित लागत रू0 122,89,31,862/- (रूपए एक अरब बाइस करोड़ नवासी लाख इकतीस हजार आठ सौ बासठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में धनराशि रू0 99,59,58,000/- (रूपए निन्यानवे करोड़ उनसठ लाख अट्ठावन हजार मात्र) के व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 99,59,58,000/- (रूपए निन्यानवे करोड़ उनसठ लाख अट्ठावन हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी, जो जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा आवंटित धनराशि तत्काल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई धनराशि से सम्बन्धित प्रमाण निदेशक, नागरिक उड्डयन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-539/दस-2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 43/2023/427(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

7- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- जनरल मैनेजर(टी) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सी एम यू मथुरा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, निगमित कार्यालय: जी- 5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075.

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

10- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

12- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।